कार्यालयनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–प्रारं/नियु प्रको./नियु–2/982/शिक्षक भर्ती–2018/लेवल–द्वितीय/उर्दू/2018 दिनांकः– 31.07.2018

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2018

अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल–द्वितीय उर्दू

विज्ञापन संख्या–13/2018

Website : www.education.rajasthan.gov.in/elementary
Email ID : niyukti.ele@gmail.com फोन नं. 0151-2207047

1-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानोंएवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधिनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–द्वितीय उर्दू कक्षा 6 से 8 के **25** पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते है। अनुसूचित क्षेत्र के पदों की रिक्तियों के लिये राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के सद्भावी निवासी ही पात्र होगें।

2-अनुसूचित क्षेत्र हेतु अध्यापक लेवल–द्वितीय उर्दू के पदों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा–लेवल द्वितीय उर्दू	**25**

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area)की रिक्तियों का जिलेवार विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट **www.education.rajasthan.gov.in/elementary** पर जारी किया जा रहा है। अभ्यर्थी http://sso.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर दिनांक 05-08-2018 से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

3-<u>ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि</u>–दिनांक 05/08/2018 से दिनांक 25/08/2018 के रात्रि 12:00 बजे तक

4-<u>सामान्य सूचनाः</u>–

1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2018 अन्तर्गत लेवल–द्वितीय उर्दू की वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) के **लेवल द्वितीय**में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णाक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा, परन्तु राज्य सरकार कीअधिसूचना क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णाक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा, परन्तु अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के सम्बंध मे उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।
2. यदि किसी आशार्थी ने स्नातक उत्तीर्ण होने के पश्चात अतिरिक्त विषय वैकल्पिक उर्दू (Additional in Urdu) उत्तीर्ण किया हुआ है तो स्नातक के अंको का प्रतिशत निकालते समय स्नातक व अतिरिक्त स्नातक के प्राप्तांक जोड़े जाकर कुल प्राप्तांको का 30 प्रतिशत अंकभार मान्य होगा।
3. चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता की स्नातक उपाधि की परीक्षा के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिये मान्य होगें।
4. राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) में अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने के कारण इन वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा / शैक्षिक योग्यता के निर्धारित अंकों तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, अतः इन वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेगें।
5. Online Application Form में वांछित समस्त सूचनाऐं अनिवार्यतः अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन Submit होने के पश्चात उस आवेदन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा, यदि आवेदन में संशोधन अपेक्षित हो तो उसे ऑन–लाईन नया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरना होगा।
6. आवेदक द्वारा द्वितीय स्तर में एक ही विषय हेतु एक से ज्यादा आवेदन पत्र भरने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. यदि कोई अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय में एक से अधिक विषयों/पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखता है तो अलग–अलग विषयों/पदों हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा उसे प्रत्येक आवेदन हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा।
8. अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध Preference (प्राथमिकता) देनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को जिलेवार विकल्प सूची में शामिल होने के लिये अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के 8 जिलों की वरीयता दे सकेगें।
9. अध्यापक लेवल–द्वितीय उर्दू हेतु वांछित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित, आरटेट/रीट के लेवल–द्वितीय में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक होना अनिवार्य हैं।
10. विभाग द्वारा विज्ञापित जिलेवार पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती हैं, इसके लिए पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।
11. आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा–निर्देशो एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।